तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **जगदीश प्रजापत् बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर व अन्य)** सू.अ.अ. अपील संख्या 181 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-07-2022	अपीलार्थी जगदीश प्रजापति पुत्र मूलाराम, पता गांव बोरुंदा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.03.2022 के द्वारा सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) व उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 853 दिनांक 27.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्राथ्रना पत्र उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर से संबंधित होने से धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक 366 दिनांक 29.03.2022 के उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर को स्थानान्तरित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर से जरिये पत्रांक 3825 दिनांक 28.06.22 रिपोर्ट प्राप्त हुई जसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड़शहर से संबंधित होने पर उक्त मूल प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड़शहर को अन्तरण कर निर्देशित किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित समय में प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाय। चूंकि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में कौनसी सूचना चाही गई, अपील में स्पष्ट नहीं किया गया, न अपील के संलग्न चाही गई सूचना का आवेदन की प्रति भी प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपाड़शहर के कार्यालय से संबंधित है तथा प्रार्थना पत्र भी उन्हें स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड़शहर (लोक सूचना अधिकारी) द्वारा सूचना नहीं दी गई तो उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रधान, पंचायत समिति पीपाड़शहर है, न कि जिला कलक्टर जोधपुर। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	